

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक: 07 नवम्बर, 2024

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
राज्य कर उत्तर प्रदेश ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत शासन द्वारा राज्य कर विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु भवन मरम्मत / विस्तार अग्रिम के लिए विभागीय ऋण दिये जाने हेतु बजट आवंटित किया गया है, जिसका वितरण कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन के आधार पर किया जाना है इस आशय हेतु मुख्यालय के पूर्व पत्र संख्या-126/06-06-2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-280/28-08-2024 द्वारा पत्र सभी कार्यालयों को प्रेषित किये गये थे ।

अतएव पुनः मुख्यालय पर उपलब्ध बजट के दृष्टिगत जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को भवन मरम्मत/ विस्तार की मद में विभागीय ऋण की आवश्यकता हो उनका आवेदन निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समयान्तर्गत प्रकरण पर विचार किया जा सकें ।

(महामिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 / ग्रेड-2 राज्य कर अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने के सम्बन्ध में ।

2- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक: 07 नवम्बर, 2024

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
राज्य कर उत्तर प्रदेश ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत शासन द्वारा राज्य कर विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु भवन मरम्मत / विस्तार अग्रिम के लिए विभागीय ऋण दिये जाने हेतु बजट आवंटित किया गया है, जिसका वितरण कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन के आधार पर किया जाना है इस आशय हेतु मुख्यालय के पूर्व पत्र संख्या-126/06-06-2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-280/28-08-2024 द्वारा पत्र सभी कार्यालयों को प्रेषित किये गये थे ।

अतएव पुनः मुख्यालय पर उपलब्ध बजट के दृष्टिगत जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को भवन मरम्मत/ विस्तार की मद में विभागीय ऋण की आवश्यकता हो उनका आवेदन निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समयान्तर्गत प्रकरण पर विचार किया जा सकें ।

(महामिलिन्द लाल)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 / ग्रेड-2 राज्य कर अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने के सम्बन्ध में ।
- 2- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।